

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

शाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 1983/वैशाख 9, 1905
No. 201] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 1983/VAISAKHA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1983

का. आ. 339(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाबध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्यन्ध में, तमिलनाडु राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 अक्टूबर, 1983 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. चावल डठल
2. कुम्भू की भूसी
3. रागी और चोलम की भूसी
4. चावल चोकर
5. गेहूं चोकर, और
6. विभिन्न चावल चोकर

[सं. 32-1/83-एल. डी. 2]

पी. एस. कोहली, अप्पर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 29th April, 1983

S.O. 339(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Tamil Nadu in that State.

This order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st day of October, 1983.

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

1. Paddy straw
2. Hay of cumbu
3. Hay of ragi and cholam
4. Rice bran
5. Wheat bran and
6. Deoiled rice bran.

[F. No. 32--1/83-LD II]

P. S. KOHLI, Addl. Secy.